रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082025-265338
CG-DL-E-11082025-265338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3551] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 3551] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3643(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.78(अ) दिनांक 04 फ़रवरी, 1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-48 (पुराना एनएच-04) के बेंगलुरू से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा तक किमी 0.00 से किमी 592.00 तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 और उसके बाद के संशोधनों (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1466 (अ) दिनांक 24 दिसंबर, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के नेलमंगला- तुमकुरु खंड के एनएच-48 के चार या अधिक लेन के डिजाइन चेनेज किमी 29.500 से किमी 62.000 (मौजूदा किमी 29.500 से किमी 62.000) तक के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 20.284 किमी [सारणी 2] की निवल सड़क खंड लंबाई और 2.160 किमी (जिसकी लंबाई 0.216 किमी, [सारणी 3] समतुल्य संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 75% जिसे छह लेन में अद्यतन किया जा रहा है,और 11.850 किमी [सारणी- 2] की निवल सड़क खंड लंबाई और 1.499 किमी (संरचना की लंबाई 0.1499 किमी, [सारणी-3]) की समतुल्य संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर

की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:—

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला तालुक के कुलुमेपाल्या के पास 30.000 किमी पर	20.284 किमी. [संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर (> 60 मीटर)]	चार लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%
तुमकुरु जिले के क्यात्संद्रा के पास चोक्केनहल्ली 61.500 किमी पर	11.850 किमी. [संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर (> 60 मीटर)]	चार लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:—

सारणी - 3			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगल तालुक के कुलुमेपाल्या के पास 30.000 किमी पर	0.216*	2.160	चार लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%
तुमकुरु जिले के क्यात्संद्रा के पास चोक्केनहल्ली किमी 61.500 पर	0.1499**	1.499	चार लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* विवरण निम्नानुसार है:

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी. से	किमी. तक		
1	48.907	48.994	फ्लाईओवर	0.087
2	49.186	49.315	फ्लाईओवर	0.129
कुल संरचना की लंबाई जो 60 मीटर से अधिक है				**0.216**

** विवरण निम्नानुसार है:

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी. में)
	किमी. से	किमी. तक		
1	50.162	50.238	आरओबी	0.0756
2	55.763	55.837	आरओबी	0.0743
कुल संरचना की लंबाई जो 60 मीटर से अधिक है				0.1499

3. वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रूपए (मात्र तीन सौ पचास रूपए) और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एक से अधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:—

सारणी-4		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की (जा रहे वाहनों को छोड़कर50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 2008 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1476.416 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत

परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-सीटीए/बी-सी/2022-23/09/2223-पार्ट (1) /ई-253901)]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

S.O. 3643(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O 78(E), dated 04th February 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Bangalore to Karnataka/ Maharashtra border of NH-48 (old NH-04) from Km 0.00 to Km 592.00 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No.1466(E) dated 24th December, 2003, the Central Government hereby levies the fee at 75% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 20.284 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.160 Km (having length of 0.216 Km [Table-3]) which being upgraded into six lane and at rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 11.850 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.499 Km (having length of 0.1499 Km [Table-3] of on the type of vehicles specified in column (1) of the table 1 below for four or more lane of the Nelamangala-Tumkur section NH-48 from Design Chainage Km.29.500 to Km.62.000 of NH-48 (Old NH-4) (Existing Km 29.500 to Km 62.000) in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table1

Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-Axle Commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table-2

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which Fee is payable**
At Km 30.000 near Kulumepalya Nelamangala Taluk Bangalore Rural District	20.284 km. [excluding length of Structures (> 60m)]	75% for four lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 61.500 Chokkenahalli near Kyatsandra of Tumkur district	11.850 km. [excluding length of Structures (> 60m)]	100% for four lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:—

Table-3

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At Km 30.000 near Kulumepalya Nelamangala Taluk Bangalore Rural District	0.216*	2.160	75% for four lane of the base rates mentioned in Table- 1 above
At Km 61.500 Chokkenahalli near Kyatsandra of Tumkur district	0.1499**	1.499	100% for four lane of the base rates mentioned in Table- 1 above

***The details are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1	48.907	48.994	Flyover	0.087
2	49.186	49.315	Flyover	0.129
Total Structure Length which are > 60m				**0.216**

****The details are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1	50.162	50.238	ROB	0.0756
2	55.763	55.837	ROB	0.0743
Total Structure Length which are > 60m				0.1499

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.350/- (Rupees Three Hundred and Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 1476.416 Crore The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-CTA/B-C/2022-23/09/2223-Part(1) /E-253901]

VINAY KUMAR, Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.08.11 17:00:19 +05'30'